रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13112020-223074
CG-DL-E-13112020-223074

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 584]	नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 13, 2020/कार्तिक 22, 1942
No. 584]	NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 13, 2020/KARTIKA 22, 1942

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय अप्रत्यक्ष एवं सीमाशुल्क बोर्ड)

आदेश

नई दिल्ली,13 नवंबर, 2020

सं.-01/2020 एस.वी.एल.डी.आर.एस,2019

सा.का.नि. 715(अ).—जहां कि वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2019 (2019 का 23) (एतश्मिन पश्चात इस आदेश में जिसे उक्त अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की धारा 127 की उपधारा (1) में यह प्रावधान है कि जहां अनुमानित राशि, जिसका भुगतान उदघोषक के द्वारा किया जाना हो, जोकिविर्निर्दिष्ट समिति द्वारा अनुमानित हो, उदघोषक के द्वारा घोषित राशि के बराबर हो जाती है तो वह विर्निदिष्ट समिति 31 मई 2020 को या उसके पहले इलेक्ट्रानिक रूप में ये विवरण जारी करेगी जिसमें उस राशि के बारे में बताया गया होगा जिसका भुगतान उदघोषक के द्वारा किया जाना हो ;

और जहां कि उक्त अधिनियम की धारा 127 की उपधारा (2) में यह प्रावधान है कि जहां अनुमानित राशि, जिसका भुगतान उदघोषक के द्वारा किया जाना हो, जोकि विर्निदिष्ट समिति द्वारा अनुमानित हो, उदघोषक के द्वारा घोषित राशि से अधिक हो जाती है तो वह विर्निदिष्ट समिति 01 मई 2020 को या उसके पहले इलेक्ट्रानिक रूप में उस राशि का अनुमान जारी करेगी जिसका भुगतान उदघोषक के द्वारा किया जाना हो;

और जहां कि उक्त अधिनियम की धारा 127 की उपधारा (4) में यह प्रावधान है कि उद्घोषक की सुनवाई किए जाने के पश्चात 31 मई 2020 को या उससे पहले इलेक्ट्रानिक रूप में एक विवरण जारी किया जाएगा जिसमें उस राशि के बारे में बताया गया होगा कि जिसका भुगतान उद्घोषक के द्वारा किया जाना हो;

और जहां कि उक्त अधिनयम की धारा 127 की उपधारा (5) के अंतर्गत यह प्रावधान है कि उद्घोषक विर्निदिष्ट समिति के द्वारा जारी विवरण में बताये गये अनुसार भुगतान किए जाने वाली राशि का भुगतान 30 जून 2020 को या उसके पहले इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से इलेक्ट्रानिक रूप से करेगा;

और जहां कि जम्मू व कश्मीर पुर्नगठन अधिनियम, 2019दिनांक 31.10.2019 को लागू हो गया है और उस पर्याप्त अवधि को देखते हुए जिसके दौरान सबका विश्वास (विरासत विवाद समाधान) योजना, 2019 को लागू कर दिया गया था जिससे कि 01.09.2019 से 15 जनवरी .2020 तक घोषणा की जा सके, लेकिन जम्मू व कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र में इंटरनेट सेवाएं अवरुध हो गई थीं और इन असाधारण परिस्थितियों के कारण इस योजना के प्रावधानों के क्रियान्वयन में इस हद तक अड़चन आ गई कि इन संघ राज्य क्षेत्रों के करदाता सबका विश्वास (विरासत विवाद समाधान) योजना, 2019 का लाभ नहीं ले सके थे।

अत: अब वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2019 (2019 का 23) की धारा 134 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार, इस कठिनाई को दूर करने के लिए,एतद्वारा,निम्नलिखित आदेश जारी करती है, यथा:-

1. सक्षिप्त शीर्षक –इस आदेश को सबका विश्वास(विरासत विवाद समाधान) योजना, 2019 (कठिनाई निवारण) आदेश, 2020 कहा जाएगा।

2. यह व्यवस्था की जाती है कि उक्त अधिनियम की धारा 127 की उपधारा (1),(2),(4) और (5) के प्रावधानों में औरसबका विश्वास (विरासत विवाद समाधान) योजना, 2019 के अंतर्गत बनाए गये नियमों में निहित किसी भी बात के बावजूद जम्मू व कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के व्यक्तियों के लिए, इस योजना के अंतर्गत दिनांक 15.01.2020 को पात्रता से संबंधित मामलों में,एत्तद्वारानिम्नलिखित समयसीमा निर्धारित की जाती है;-

(क) उक्त नियमावली के नियम 3 के उप-नियम (1) अंतर्गत घोषणा को दायर किए जाने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2020 या उसके पहले होगी ।

(ख) उक्त अधिनियम की धारा 127 की उप-धारा (1) और (4) के अंतर्गत विवरण को जारी किए जाने की अंतिम तारीख 31 जनवरी 2021 या उसके पहले होगी ।

(ग) उक्त अधिनियम की धारा 127 की उप-धारा (2) के अंतर्गत भुगतान के लिए अनुमान जारी किए जाने की अंतिम तारीख 15 जनवरी 2021 या उसके पहले होगी।

(घ) उक्त अधिनियम की धारा 127 की उप-धारा (5) के अंतर्गत उद्घोषक के द्वारा देय राशि का भुगतान किए जाने की अंतिम तारीख 28 फरवरी 2021 या उसके पहले होगी।

[फा.सं.267/78/2019-सीएक्स. 8(पीटी.III)]

माजिद खान, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

ORDER

New Delhi, the 13th November, 2020

No 1/2020-SVLDRS, 2019

G.S.R. 715(E).—WHEREAS, sub-section(1) of section 127 of the Finance (No.2) Act, 2019 (23 of 2019) (hereafter in this Order referred to as the said Act) provides that where the amount estimated to be payable by the declarant, as estimated by the designated committee, equals the amount declared by the

declarant, then, the designated committee shall issue in electronic form, a statement, indicating the amount payable by the declarant, on or before the 31st day of May, 2020;

AND WHEREAS, sub-section(2) of section 127 of the said Act provides that where the amount estimated to be payable by the declarant, as estimated by the designated committee, exceeds the amount declared by the declarant, then, the designated committee shall issue in electronic form, an estimate of the amount payable by the declarant on or before the 1st day of May, 2020;

AND WHEREAS, sub-section(4) of section 127 of the said Act provides that after hearing the declarant, a statement in electronic form indicating the amount payable by the declarant, shall be issued on or before the 31st day of May, 2020;

AND WHEREAS, sub-section (5) of section 127 of the said Act provides that the declarant shall pay electronically through internet banking, the amount payable as indicated in the statement issued by the designated committee, on or before the 30th day of June, 2020;

AND WHEREAS, the Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019 (34 of 2019) came into force with effect from the 31st October, 2019 and for considerable period during which the Sabka Vishwas (Legacy Dispute Resolution) Scheme, 2019 was open for filing of declaration from Ist September, 2019 till 15th January, 2020, the internet services were disrupted in the Union Territory of Jammu & Kashmir and Union Territory of Ladakh, and these extraordinary circumstances created an impediment in the implementation of the provisions of the said Scheme in so far as the taxpayers in these Union Territories could not avail the benefits of the Sabka Vishwas (Legacy Dispute Resolution) Scheme, 2019.

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 134 of the Finance (No.2) Act, 2019 (23 of 2019), the Central Government, hereby makes the following Order, to remove the difficulties, namely:—

1. **Short title**.—This Order may be called the Sabka Vishwas (Legacy Dispute Resolution) Scheme, 2019 (Removal of Difficulties) Order, 2020.

2. It is provided that notwithstanding anything contained in the provisions of sub-section (1), (2), (4) & (5) of section 127 of the said Act and the rules, namely the Sabka Vishwas (Legacy Dispute Resolution) Scheme Rules, 2019, made under the said Act, for the persons in the Union Territory of Jammu and Kashmir and Union Territory of Ladakh, in respect of cases eligible under the Sabka Vishwas (Legacy Dispute Resolution) Scheme, 2019, as on the15th January, 2020, following timelines are hereby provided:-

a. The last date for filing of the declaration referred to in sub-rule(1) of rule 3 of the said rules shall be on or before the 31st December, 2020;

b. The last date of issuance of statement under sub-section (1) and (4) of section 127 of the said Act shall be on or before the 31st January, 2021;

c. The last date of issuance of estimate of amount payable under sub-section (2) of section 127 of the said Act shall be on or before the 15th January, 2021;

d. The last date for payment of dues by declarant under sub-section (5) of section 127 of the said Act shall be on or before the 28th February, 2021.

[F.No.267/78/2019-CX.8(Pt. III)]

MAZID KHAN, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. KUMER CHAND MEENA Digitally signed by KUMER CHAND MEENA Date: 2020.11.13 22:36:35 +05'30'